

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 0280

(देखें अभिलेख 941 का नियम 26)

19.02.13

तारीख 19/02/13 से

25.04.13

तक

जिला - पटना

अनुमंडल - पटना सिटी

केश का प्रकार:- दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं०

21

/ 2013-2014

हल्का सं० 03

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित												
21/13	<p>श्री/श्री मती <u>रिचा सिंह</u></p> <p>पिता/पति श्री/श्री मती <u>मुकेश कुमार सिंह</u></p> <p>ग्राम <u>हुजरा</u> पो० <u>जंशिया</u> थाना <u>जौरीचर</u></p> <p>जिला <u>पटना</u> ने केवाला सं० <u>4405</u> दिनांक <u>28.07.11</u> के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है:-</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">मौजा का नाम</th> <th style="text-align: left;">थाना सं०</th> <th style="text-align: left;">खाता सं०</th> <th style="text-align: left;">खेसरा</th> <th style="text-align: left;">रकबा(ए.-डि में)</th> <th style="text-align: left;">लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>एनियो</u></td> <td><u>72</u></td> <td><u>46</u></td> <td><u>400</u></td> <td><u>0-204</u></td> <td><u>2.00</u></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">1</p> <p>मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक <u>26/02/13</u> को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचलधिकारी फतुहां।</p> <p style="text-align: right;">अंचलधिकारी फतुहां।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्म० का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्म० ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी विक्रेता / पावरकर्ता / पूर्व विक्रेता / दानकर्ता <u>श्री वि. प्री. प्रदीप से २००३</u> अदिका <u>कुटे</u> के नाम से कायम है। प्रश्नगत जमीन गै०म०मा/आम,मू-दान,मू-हदवंदी एवं सैरात से मुक्त है। है। आवेदक/आवेदिका का दखल कब्जा है। तदनुसार जमाबंदी रैयत को खास सूचना एवं मंडाल पर आम सूचना निर्गत कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>16/4/13</u> को उपास्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचलधिकारी फतुहां।</p> <p style="text-align: right;">अंचलधिकारी फतुहां।</p>	मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा(ए.-डि में)	लगान	<u>एनियो</u>	<u>72</u>	<u>46</u>	<u>400</u>	<u>0-204</u>	<u>2.00</u>	<p>↓</p> <p>19/2/13</p> <p>↓</p>
मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा(ए.-डि में)	लगान									
<u>एनियो</u>	<u>72</u>	<u>46</u>	<u>400</u>	<u>0-204</u>	<u>2.00</u>									

P.T.O.

वाक सं - 217B-14

हल्का सं - 33

मिलेख उपस्थापित। जमाबंदी रैयत को निर्गत खास सूचना का तामिला प्राप्त/अप्राप्त है एवं महाल पर निर्गत आम सूचना का तामिला प्राप्त/अप्राप्त है। आज तक किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन, अंचल निरीक्षक के अनुमति एवं प्राप्त अनापत्ति के आधार पर राजस्व वसूली के हित में दाखिल खारिज की ~~रही है~~ दी जाती है तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें। ~~पुनः कितने पक्ष रूचक एवं खेती के विवाद~~ लेखापित एवं संशोधित। ~~की हिनारी में लक्षण न्यायालय में जा कर रहे~~

अंचलाधिकारी
फतुहा।

अंचलधिकारी
फतुहा।